अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 218, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 5 दिसम्बर, 2001

No. 218, Port Blair, Wednesday, December 5, 2001

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

पोर्ट ब्लेयर

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 5 दिसम्बर, 2001

उप विधि

सं. 217/2001/एफ.संख्या अं.नि./खा.ग्रा.बो./5-4/2001.—अण्डमान तथा निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1988 (1988 का 1) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से (उप राज्यपाल) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, एतद्द्वारा निम्नलिखित उप विधि बनाते है, अर्थात :-

अध्याय–1

1. (1) इन उप विधियों का नाम अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उप विधि है;
 (2) यह पूरे अण्डमान तथा निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगी;
 (3) इन्हें उस तारीख से लागू माना जाएगा, जिसे बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे;
2. इन उप विधियों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :-
 (क) ''प्रशासक'' का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक;
 (ख) ''प्रशासन'' का अर्थ है अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का प्रशासन;
 (ग) ''नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी'' का अर्थ है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा इसके लिए विशेष रूप से प्राधिकृत बोर्ड का अधिकारी;
 (घ) ''बोर्ड'' का अर्थ है अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम 1988 की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित अण्डमान एवं निकोबार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड;
 (ङ) ''उप विधि'' का अर्थ है विनियम की धारा 39 के अंतर्गत बनाई गई उप विधि;
 (च) ''अध्यक्ष'' का अर्थ है बोर्ड का अध्यक्ष;
 (छ) ''आयोग'' का अर्थ है खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग;
 (ज) ''कार्यालयाध्यक्ष'' का अर्थ है बोर्ड द्वारा घोषित बोर्ड के कार्यालय का अध्यक्ष;
 (झ) ''सहकारी सोसायटी'' का अर्थ है अण्डमान तथा निकोबार द्वीप सहकारी सोसायटी विनियम, 1973 (1973 की संख्या 3) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सहकारी सोसायटी;
 (ञ) ''सदस्य'' का अर्थ है बोर्ड का सदस्य;
 (ट) ''विनियम'' का अर्थ है अण्डमान तथा निकोबार द्वीप खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड विनियम, 1988 (1988 का 1);
 (ठ) ''नियम'' का अर्थ है विनियम की धारा 38 के अंतर्गत प्रशासक द्वारा बनाए गए नियम;
 (ड) ''उपाध्यक्ष'' का अर्थ है बोर्ड का उपाध्यक्ष और

(ढ) ऐसे सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां तथा वाक्यांश जिन्हें इसमें प्रयोग किया गया है किंतु इस उप विधि में परिभाषित नहीं किया गया है और विनियम एवं नियम में परिभाषित किया गया है क्रमशः उनका अर्थ नियमों एवं विनियमों में उनके लिए निर्दिष्ट अनुसार होगा ।

अध्याय–II

बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा सम्बंधी सामान्य उपबंध :–

3.(1) प्रशासन के उद्योग विभाग में सेवारत ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं जो बोर्ड में स्थायी आधार पर सेवा का विकल्प देते हैं, उनके नियोक्ता की सहमति के अनुसार बोर्ड में स्थायी आधार पर अंतरित की जा सकती है और ऐसे अंतरण होने पर बोर्ड के अंतर्गत उनका अन्यत्र नियोजन, तत्समय प्रवृत्त विनियम एवं नियम और उसके अंतर्गत बनाई गई उप विधि के अंतर्गत नियंत्रित होगा । कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और बाध्यकारी होगा और किसी भी स्थिति में इस प्रकार का विकल्प वापस परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार स्थानांतरित कर्मचारी बोर्ड में स्थायी आधार पर कार्य करेगा और वह उसी वेतनमान एवं भर्त्त को आहरित करने का हकदार होगा । जैसा कि वह पूर्व नियोक्ता के अधीन सेवारत रहने के दौरान प्राप्त कर रहा था । इस प्रयोजनार्थ उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी किया गया अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बोर्ड में उसके वेतन निर्धारण के समय ध्यान में रखा जाएगा । तथापि वह विशेष वेतन पाने का हकदार नहीं होगा, जिसे वह अपने पूर्व नियोक्ता के अधीन उच्चतर दायित्व वाले विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए अपने पूर्व नियोक्ता की सेवा के दौरान प्राप्त करता रहा हो । तथापि उसके समेकित वेतन की मात्रा के निर्धारण के समय इसे यह सुनिश्चित करने के लिए सम्यक ध्यान में रखा जाएगा कि उसकी ऐसी कुल परिलब्धियों में उसे किसी प्रकार की हानि न हो, जिसे कि वह अपने समेकित वेतन निर्धारण के पहले प्राप्त करता रहा हो ।

(3) उप खंड (1) में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद इसमें निर्दिष्ट स्थानांतरित कर्मचारी इन उपविधियों द्वारा नियंत्रित होगा ।

(4) बोर्ड अपने कर्मचारियों के लिए वही वेतन एवं भत्ता लागू कर सकता है जैसा कि उसके सदृश पदधारी सेवारत कर्मचारियों के लिए और प्रशासन के अंतर्गत सेवा के समान ग्रेड अथवा श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के लिए समय–समय पर प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया हो । उसमें वृद्धि की गई हो और लागू किया गया हो ।

(5) बोर्ड में मुख्यतः कर्मचारियों के चार वर्ग होंगे अर्थात् समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' और इन्हें बाद में वर्ग अथवा कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए समय–समय पर वेतनमान कर्त्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख करते हुए आदेश जारी करते समय और भी ग्रेड में वर्गीकृत किया जा सकता है ।

(6) बोर्ड में कार्य की तात्कालिकता और अपेक्षा होने पर बोर्ड समय–समय पर विनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध के अंतर्गत नैमित्तिक एवं दिहाड़ी कामगार नियोजित कर सकता है :

बशर्ते कि इस प्रकार के कामगारों का लगातार नियोजन प्रशासन के विभिन्न विभागों में ऐसे कामगारों के नियोजन के सम्बंध में प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों एवं आदेशों द्वारा विनियमित होगा ।

(7) विनियम, नियम एवं इन उप विधियों के उपबंधों के अंतर्गत बोर्ड, अपने कर्मचारियों की सेवा सम्बंधी शर्तें व निबंधन निर्धारित करेगा अन्य बातों के साथ–साथ कर्मचारी के मामले में अथवा कर्मचारी वर्ग के मामले में और इसी प्रकार अन्य मामले में इस प्रकार की शर्तों व निबंधन में भर्ती के समय की आयु सीमा, न्यूनतम योग्यता और अनुभव जैसे मामले शामिल होंगे । बोर्ड लिखित में किसी आदेश द्वारा ऐसे किसी भी निबंधन एवं शर्त में ढील दे सकता है, जहाँ कहीं वह बोर्ड के कार्य हित में ऐसा करना उपयुक्त समझे ।

(8) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के ऐसे किसी भी स्थायी कर्मचारी के मामले में, जिसकी सेवाएं बाध्य सेवा के आधार पर बोर्ड में प्रतिनियुक्ति आधार पर की गई है, सेवा की शर्तें उसके वेतन, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान सहित वही होंगी जैसा कि बोर्ड में उसकी प्रतिनियुक्ति के समय निर्धारित की गई हो ।

(9) बोर्ड अपने कर्मचारियों को अध्ययन छुट्टी भी दे सकता है, जिससे कि वे बोर्ड के कार्य से जुड़े वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा आर्थिक क्षेत्र में विशेषज्ञ जानकारी हासिल करने के लिए अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य कर सके और यह ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत होगा जैसा कि इस सम्बंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।

(10) अपने कर्मचारियों के आचरण एवं अनुशासन के विनियमन के लिए बोर्ड, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 एवं केंद्रीय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 को आवश्यक परिवर्तन सहित लागू करता है ।

(11) बोर्ड के कर्मचारी, उपदान अधिनियम 1973 (1972 का 39) के संदाय के उपबंधों के अंतर्गत उपदान संदाय के हकदार होंगे । इस प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम, आवश्यक परिवर्तन सहित बोर्ड के कर्मचारिों पर लागू होगा ।

(12) बोर्ड के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू चिकित्सा परिचर्चा नियम 1944 के उपबंधों के अंतर्गत चिकित्सा व्यय के भुगतान के हकदार होंगे । इस प्रयोजनार्थ बोर्ड के कर्मचारियों पर उक्त नियम लागू होगा ।

भर्ती की विधि

(13) बोर्ड की स्थापना में मौजूदा विभिन्न ग्रेडों एवं संवर्गों में पदों की भर्ती, भर्ती विधि, आयु, योग्यता अनुभव आदि के विनियमन होंगे जैसे कि राजपत्र में बनाए जाएं और अधिसूचित किए जाएं ।

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

(14)

(i) बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी, जी.बी. पंत हॉस्पीटल, पोर्ट ब्लेयर के चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार का प्रमाणपत्र, नियुक्ति की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा ।

बशर्ते कि बोर्ड के अंतर्गत सेवारत प्रशासन से स्थानांतरित किसी कर्मचारी के लिए इस प्रकार के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, यदि उसने प्रशासन के अंतर्गत अपनी सेवावधि के दौरान उसे पहले ही प्रस्तुत कर दिया है ।

(ii) बोर्ड, लिखित में पर्याप्त कारण दर्ज करते हुए उस एक माह की समयावधि को बढ़ा सकता है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना हो ।

(iii) विनिर्दिष्ट समय सीमा अथवा बढ़ाई गई समय सीमा यदि कोई हो, के भीतर आवश्यक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण सेवा मुक्त कोई भी कर्मचारी, बोर्ड के अंतर्गत तब तक पुनर्नियोजित नहीं हो सकता जब तक कि वह ऐसे प्रमाणपत्र को अग्रिम रूप से प्रस्तुत न कर दे । इस प्रकार का पुनर्नियोजन बोर्ड में उपलब्ध सम्बंधित पद में रिक्ति के अनुसार होगा ।

(iv) उस समय नए चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी यदि सेवामुक्त कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्व सेवावधि के दौरान प्रस्तुत किए गए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की तारीख के 6 महीने के भीतर बोर्ड में पुनर्नियोजित किया जाता है ।

परिवीक्षा एवं परीक्षण अवधि, पुष्टिकरण एवं अधिवर्षिता

(15)

1. स्थायी रिक्तियों पर भर्ती किए गए बोर्ड के सभी कर्मचारी दो वर्ष की परिवीक्षा पर होंगे । अस्थायी रिक्तियों पर भर्ती किए गए सभी कर्मचारी, तथापि, तीन माह की परीक्षण अवधि पर होंगे । इस प्रकार परिवीक्षा अथवा परीक्षण की अवधि नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा वैयक्तिक मामलों में 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वह लिखित में पर्याप्त कारण दर्ज करते हुए ऐसा करना उचित समझते हो ।

2.

(क) परीक्षण अवधि की संतोषजनक समाप्ति के पश्चात कर्मचारी अस्थायी पदों पर बने रहेंगे अन्यथा उन्हें उनकी नियुक्ति की शर्तों व निबंधनों के अनुसार सेवामुक्त कर दिया जाएगा ।

(ख) स्थायी रिक्तियों पर भर्ती किए गए कर्मचारियों की उनकी परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति पर उन पदों पर पुष्टि कर दी जाएगी ।

3.

(क) बोर्ड के सभी कर्मचारी, सामान्यतः 60 वर्ष की आयु होने पर या ऐसी आयु पर जैसा कि अधिवार्षिता पर उनकी सेवा निवृत्ति के प्रयोजनार्थ प्रशासन के अंतर्गत सेवारत सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू हो सेवा निवृत्त हो जाएंगे ।

(ख) बोर्ड का कोई भी कर्मचारी 20 वर्ष की अधिक सेवा पूरी होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है, जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(क) में निर्धारित किया गया है ।

(ग) प्रशासन के अंतर्गत सेवारत सरकारी कर्मचारियों के सम्बंध में लागू आदेशों/नियमों के आधार पर बोर्ड का कोई भी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के समय अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा ।

(घ) 60 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्ति के लिए बोर्ड के किसी भी कर्मचारी को जैसा कि खंड (क) में दिया गया है, आयोग के हित में और बोर्ड की सेवा का आवश्यकता के आधार पर और किसी भी समय लिखित में कारण दर्ज करते हुए :

(i) वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर सेवा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जब तक कि वह 63 वर्ष की आयु का न हो जाए अथवा

(ii) ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर संविदा आधार पर सेवा में पुनर्नियोजित किया जा सकता है जैसा कि इसके लिए पारित संकल्प द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए ।

बशर्ते कि पुनर्नियोजन की ऐसी सेवा अवधि बढ़ाया जाना कर्मचारी की चिकित्सा जांच के अंतर्गत होगा और जिसमें उसे विधिवत किसी सक्षम/रजिस्टर्ड चिकित्सा प्राधिकारी/ प्रैक्टिशनर द्वारा आगे नियोजन के लिए स्वस्थ घोषित किया गया हो ।

4. उप खंड 3(क) में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद :

(i) बोर्ड किसी भी समय ऐसे किसी भी कर्मचारी से विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए लिखित में तीन महीने की अग्रिम सूचना देकर सेवा निवृत्ति की अपेक्षा कर सकता है, जिसकी आयु 35 वर्ष हो गई हो ।

(ii) बोर्ड का कोई भी कर्मचारी 55 वर्ष की आयु होने पर किसी भी समय बोर्ड को तीन महीने की लिखित अग्रिम सूचना देकर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले सकता है ।

परन्तु यह कि बोर्ड ऐसे किसी भी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति देने से मना कर सकता है यदि उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जानी है या लंबित है ।

सेवा समाप्ति

6.(1) परीक्षण की अवधि के दौरान अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं उसकी नियुक्ति की शर्त के अंतर्गत नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकती है ।

(2) अस्थायी कर्मचारी की सेवा किसी भी समय उसे एक माह की अग्रिम लिखित सूचना देकर या एक महीने का वेतन एवं भत्ता देकर बिना कोई कारण बताए नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकती है । परन्तु उसकी सेवा तत्काल भी समाप्त की जा सकती है और इस प्रकार की सेवा समाप्ति की दशा में सम्बंधित कर्मचारी उसी दर पर सूचना विधि के लिए एक महीने के वेतन एवं भत्ते के दावे का हकदार होगा, जिस दर पर वह नोटिस के बदले में या उस अवधि के लिए जिस अवधि में इस प्रकार के नोटिस की अवधि आता है अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले आहरित कर रहा था ।

(3) स्थायी पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की सेवा, बिना कोई सूचना दिए या बिना कोई कारण बताए परिवीक्षा की अवधि के दौरान नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकती है ।

(4) किसी कर्मचारी की सेवा में परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक समाप्ति के पश्चात स्थायी नियोजन में उसकी सेवा उस समय समाप्त की जा सकता है यदि उसका पद समाप्त कर दिया जाता है ।

परन्तु यह कि स्थायी सेवा में किसी कर्मचारी की सेवा जहाँ तक उसी ग्रेड अथवा वर्ग अथवा श्रेणी के किसी पद का सम्बंध है और उसी नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी के अंतर्गत उससे कनिष्ठ किसी व्यक्ति द्वारा पद धारित होता है, इस उप खंड के अंतर्गत सेवा समाप्त नहीं होगा ।

परन्तु यह भी कि इस प्रकार के कर्मचारी को बोर्ड में उसी अथवा निचले ग्रेड में मौजूदा रिक्ति की उपलब्धता के अनुसार वैकल्पिक नियुक्ति भी दी जा सकती है, यदि वह ऐसे पद की नियुक्ति के लिए इन उपविधियों में निर्धारित अपेक्षाएं पूरी करता है । यदि वह ऐसे वैकल्पिक पद की नियुक्ति स्वीकार करता है तो उसे बोर्ड में बनाए रखा जा सकता है ।

(5)(क) बोर्ड के अंतर्गत स्थायी सेवा में कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपना त्यागपत्र स्वीकृत कराए बिना सेवामुक्त नहीं हो सकेगा ।

(ख) किसी स्थायी पद के समाप्त होने पर बोर्ड की स्थायी सेवा का कोई कर्मचारी बोर्ड की सेवा से सेवामुक्त कर दिया जाएगा, और उसे उसकी सेवा समाप्त किए जाने के बोर्ड के आशय को स्पष्ट करने वाली तीन महीने का नोटिस दिया जाए या उसके बदले में जिस दर पर वह सेवा समाप्ति के तत्काल पहले या उस अवधि के जिसमे इस प्रकार का नोटिस दिया जाता है वेतन एवं भत्ता आहरित कर रहा था/रही थी, नोटिस की अवधि के लिए उसी दर पर वेतन एवं भत्ता देकर सेवामुक्त किया जा सकेगा या उसे तीन महीने का वेतन एवं भत्ता अग्रिम रूप से देकर सेवामुक्त किया जा सकेगा, या वह अपनी सेवा समाप्ति के बाद अपेक्षित भुगतान का हकदार होगा/होगी ।

यात्रा एवं दैनिक भत्ता

17. बोर्ड का कर्मचारी उस दर पर और ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से, दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा के लिए यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते का हकदार होगा, जैसा कि इस सम्बंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए । जब तक बोर्ड द्वारा ऐसी दर एवं शर्तें निर्धारित की जाए, बोर्ड का कर्मचारी उसी दर पर और उसी शर्त के अंतर्गत यात्रा एवं दैनिक भत्ते को आहरित करने का हकदार होगा जैसा कि प्रशासन के अंतर्गत सदृश तदनुरूपी ग्रेड के कर्मचारी के लिए लागू हो ।

नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी

18.क) बोर्ड के अध्यक्ष, अपने यात्रा एवं दैनिक भत्ते के बिलों के सम्बंध में स्वयं ही नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी होंगे ।

(ख) अध्यक्ष, बोर्ड के सदस्य सचिव, कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी तथा बोर्ड के सदस्य के यात्रा एवं दैनिक भत्ता बिलों के सम्बंध में नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी होंगे ।

(ग) कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड के कर्मचारियों के यात्रा एवं दैनिक भत्ता बिलों के सम्बंध में नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी होंगे ।

(घ) बोर्ड, लिखित आदेश देकर, यह निर्देश दे सकता है कि यात्रा एवं दैनिक भत्ते के प्रयोजनार्थ नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जैसा कि इस निम्नलिखित में प्राधिकृत किया जाए । परन्तु यह कि कोई अधिकारी स्वयं के लिए नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी के तौर पर प्राधिकृत नहीं होगा ।

(ङ) कार्यालयाध्यक्ष, बोर्ड के समूह 'ख' अराजपत्रित एवं समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बंध में नियंत्रणकर्त्ता प्राधिकारी होंगे ।

दैनिक भत्ता

19. दौरे के समय, किसी एक स्थान पर दस दिन से अधिक की लगातार किसी अवधि के लिए किसी भी कर्मचारी को पूरी दर पर दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा और ऐसा कर्मचारी उसे उसी दर पर आहरित करेगा, जैसा कि प्रशासन में कार्यरत उसी ग्रेड के कर्मचारियों पर लागू होता है ।

बशर्ते कि अध्यक्ष, लिखित में आदेश द्वारा इस खंड के लागू होने से सामान्य या व्यक्तिगत छूट दे सकते है, यदि वह यह सोचते है कि किसी एक विशेष स्थान अथवा स्टेशन पर ऐसी बढ़ी हुई अवधि बोर्ड के कार्यहित में आवश्यक है ।

यात्रा एवं दैनिक भत्ते के लिए अग्रिम

20. नियंत्रणकर्त्ता अधिकारी उन यात्राओं के लिए बोर्ड कर्मचारियों और सदस्यों को अग्रिम प्रदान किए जाने का आदेश जारी कर सकते है जो उन्हें सौंपे गए सरकारी कार्य के सम्बंध में उनके द्वारा की जानी हो ।

छुट्टी एवं छुट्टी भत्ता

21. बोर्ड के कर्मचारियों की छुट्टी एवं छुट्टी भत्ता उन आदेशों एवं नियमों के अनुसार विनियमित होगा जैसा कि प्रशासन के उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जो बोर्ड के कर्मचारियों के सदृश वेतनमान में प्रशासन के वेतनमान में हो ।

परन्तु यह कि बोर्ड, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से या तो उप विधि बना सकता है या प्रशासन के कर्मचारियों को स्वीकार्य छुट्टी या यात्रा भत्ते को लागू करने के सम्बंध में विनियमित करने वाले समय–समय पर प्रवृत्त नियमों एवं आदेशों को आवश्यक परिवर्तन सहित वैकल्पिक तौर पर लागू कर सकते है ।

21.क) शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति

बोर्ड के सभी नियमित कर्मचारी, प्रशासन के अंतर्गत, सेवारत सरकारी कर्मचारियों के सम्बंध में यथा लागू नियमों/आदेशों के अनुसार शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे ।

पदोन्नति एवं अग्रिम वेतन वृद्धि

22.(1) साधारणतः पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर, निचले ग्रेड से उच्चतर ग्रेड में की जाएगी ।

बशर्ते कि फीडर संवर्ग में निचले ग्रेड में कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारी, योग्यता के आधार पर अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए उपयुक्त हो । बोर्ड, किसी भी पद को या किसी विशेष ग्रेड में पदों के वर्ग को प्रवरण पद या ऐसे पद के रूप में घोषित कर सकता है, जिसके लिए नियम लागू नहीं होगा । प्रवरण पद पर पदोन्नति विशुद्ध रूप से सिर्फ योग्यता के आधार पर की जाएगी ।

परन्तु यह कि बोर्ड समय–समय पर इस बोर्ड की स्थापना के विभिन्न संवर्ग में अगले उच्चतर ग्रेड में प्रवरण पद के लिए कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु मानदण्ड विनियमित करने वाली विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है ।

(2) बोर्ड उन पदों के लिए, जिसके लिए बोर्ड पदों के सृजन की मंजूरी देने के लिए सक्षम है, उच्चतर प्रारंभिक भुगतान या वेतन या तत्पश्चात अग्रिम वेतन वृद्धि की मंजूरी दे सकता है ।

परन्तु यह कि यदि तीन से अधिक अग्रिम वेतन वृद्धि का मामला हो तो प्रशासक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

बोर्ड के कार्य के सम्बंध में विदेश में प्रतिनियुक्ति

23. बोर्ड, प्रशासक और भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से, अपने कार्यों के सम्बंध में, किसी भी सदस्य या अधिकारी या अपने किसी भी कर्मचारी को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेज सकता है । बोर्ड प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से, सरकारी ड्यूटी दौरे पर भारत से बाहर प्रतिनियुक्त किसी भी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी को निधि प्रदान किए जाने से सम्बंधित आदेश जारी कर सकता है ।

परन्तु यह कि विदेश जाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति मंजूर करने से पहले बोर्ड द्वारा तत्समय प्रवृत्त विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम 1973 की अपेक्षा का विधिवत अनुपालन किया जाएगा ।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समिति का गठन

24. बोर्ड, विनियम के उपबंधों द्वारा नियंत्रित मामलों में बोर्ड की सहायता के लिए अथवा परामर्श देने के लिए जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विशिष्ट प्रयोजनार्थ अपने किसी भी एक या अधिक सदस्य या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों या दोनों के साथ एक समिति का गठन कर सकता है ।

अध्याय–III

बैठक की सूचना एवं कार्य सूची

25.(1)अध्यक्ष, बोर्ड की प्रत्येक बैठक के बारे में तारीख, समय और स्थान के बारे में निर्णय करेंगे और इस प्रकार की बैठक में भाग लेने के लिए इसे सचिव द्वारा सम्बंधित अधिकारियों, आमंत्रित व्यक्तियों और बोर्ड के अन्य सदस्यों, जिसमें उपाध्यक्ष, कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रशासक द्वारा प्रतिनियुक्त अन्य अधिकारी शामिल है । इस प्रकार की बैठक में विचार किए जाने वाले कार्य विषय की सूची की अग्रिम रूप से सदस्यों और अन्य उक्त व्यक्तियों को प्रस्तुत की जाएगी । तथापि, अध्यक्ष की अनुमति से उपरोक्त कार्य विषयों के अलावा अन्य विषय पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है ।

(2) इस प्रकार की सभी बैठकों की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा या दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से ही चुने गए किसी सदस्य द्वारा की जाएगी ।

26(1) किसी भी बैठक में एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से इस प्रकार की बैठक का कोरम बनेगा ।

(2) यदि बोर्ड की किसी बैठक में, कोरम नहीं है तो अध्यक्ष या ऐसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे अन्य व्यक्ति इस बैठक को अगली किसी तारीख तक स्थगित रख सकते हैं और यह भी विधि सम्मत होगा कि ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या पर ध्यान दिए बिना बैठक के कार्यों का निपटारा किया जा सकता है ।

बशर्ते कि स्थगित बैठक आयोजित किए जाने की तारीख, स्थगित बैठक की तारीख के बाद कम से कम 7 दिनों के अंतराल पर निर्धारित हो और सभी सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों को सचिव द्वारा इस प्रकार की स्थगित बैठक के समय एवं तारीख के बारे में ऐसे तरीके से सूचित किया जाएगा कि जैसा कि खंड 24 के उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

मतदान

27. सभी मतदान, ध्वनिमत से अथवा हाथ उठाकर किए जाएंगे, जब तक कि अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति यह निर्णय न करें कि विशेष मामलों में मतदान मतपत्र के माध्यम से किया जाएगा ।

परिचालन द्वारा संकल्प

28. तात्कालिक अथवा महत्वपूर्ण स्वरूप का कोई संकल्प जिसकी बोर्ड की नियमित बैठक आयोजित किए जाने तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों के बीच परिपत्र परिचालित करके पारित किया जा सकता है ।

बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

29.(1)बोर्ड की बैठक की कार्यवाही, सचिव के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अंतर्गत दर्ज की जाएगी ।

(2) बोर्ड के बैठक का कार्यवृत्त सचिव द्वारा संकलित किया जाएगा, और पुष्टिकरण के लिए उसे उनके द्वारा बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाएगा । अन्य बातों के साथ–साथ बैठक के कार्यवृत्त में उस व्यक्ति का नाम भी दिया जाएगा जो इस प्रकार की बैठक में उपस्थित होता है । बैठक के अध्यक्ष कार्यवृत्त की पुष्टि के बाद उस पर हस्ताक्षर करेंगे ।

30.

(1) इस प्रकार की उप विधियों और इस प्रकार की उप विधियों के प्रारंभ होने के तत्काल पहले प्रवृत्त की गई उपविधियों द्वारा विचार किए जाने वाले अथवा नियंत्रित होने वाले मामलों में ऐसी सभी उप विधियाँ एवं जारी की गई अधिसूचनाएँ आदेश एवं निर्देश निरसित हो जाएंगे ।

(2) उप खंड (1) में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद, इस प्रकार के निरसन से निम्नलिखित पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा :–

(क) इस प्रकार की उप विधि, अधिसूचना, आदेश अथवा निर्देश अथवा उसके अंतर्गत किए गए या होने वाले किसी प्रकार के कार्य के प्रचालन पर

(ख) किसी प्रकार के अधिकार, विशेषाधिकार, वचनबध अथवा इसके अंतर्गत, अर्जित, उपचित अथवा उपगत किसी प्रकार की देयता और

(ग) इस प्रकार के अधिकार, विशेषाधिकार, वचनबंध, लंबित मामले, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय के सम्बंध में किसी प्रकार का अन्वेषण, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय जारी रहेंगे या प्रवृत्त होंगे, भले ही इस प्रकार की उप विधि न बनाई गई हो और जारी की गई हो ।

ह0/–
(एन.एन. झा)
उपराज्यपाल

उपराज्यपाल के आदेश द्वारा और उनके
नाम से
ह0/–
(एम.एन. मुरली)
कार्यपालक अधिकारी
अण्डमान एवं निकोबार खादी एवं
ग्रामोद्योग बोर्ड पोर्ट ब्लेयर

MGPPB—218/Gazette/01 — 170 Copies. (YSN)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 218, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 5 दिसम्बर, 2001

No. 218, Port Blair, Wednesday, December 5, 2001

A & N ISLANDS KHADI & VILLAGE INDUSTRIES BOARD
PORT BLAIR

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 5th December, 2001

BYE-LAWS

No. 217/2001/F. No. ANIKVIB/5-4/2001.—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Andaman and Nicobar Islands Khadi & Village Industries Board Regulations, 1988 [No. 1 of 1988] and with the previous approval of the Administrator (Lieutenant Governor), Andaman & Nicobar Islands, the Andaman and Nicobar Islands Khadi & Village Industries Board, hereby makes the following Bye-Laws, namely :-

CHAPTER – I

1. (1) These Bye-Laws may be called the Andaman and Nicobar Islands Khadi & Village Industries Board Bye-Laws.

 (2) They extend to the whole of the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.

 (3) They shall come into force on such date as the Board may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In these Bye-Laws, unless the context otherwise requires :-

 (a) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands appointed by the President under Article 239 of the Constitution;

 (b) "Administration" means the Andaman & Nicobar Administration ;

 (c) "Appointing Authority" means the Chairman or the Vice Chairman or an officer of the Board specifically empowered in this behalf by the Chairman;

 (d) "Board" means the Andaman and Nicobar Islands Khadi & Village Industries Board established under section 3 of the Andaman and Nicobar Islands Khadi & Village Industries Board Regulation, 1988;

 (e) "Bye-Laws" means a bye-laws made under section 39 of the Regulation;

 (f) "Chairman" means the Chairman of the Board;

 (g) "Commission" means the Khadi and Village Industries Commission established under section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (No. 61 of 1956);

 (h) "Head of the Office" means an officer of the Board declared as such by the Board;

 (i) "Cooperative Society" means a Cooperative Society registered as such under the Andaman and Nicobar Islands Cooperative Society Regulation, 1973 (No. 3 of 1973);

(j) "Member" means a member of the Board;

(k) "Regulation" means the Andaman and Nicobar Islands Khadi & Village Industries Board Regulation, 1988 (No. 1 of 1988);

(l) "Rules" means the rules made by the Administrator under section 38 of the Regulation;

(m) "Vice Chairman" means the Vice Chairman of the Board ; and

(n) All other words expression and phrases used herein, but not defined in these Bye-Laws and defined in Regulation and Rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Regulation and the Rules.

CHAPTER – II

GENERAL PROVISIONS RELATING TO THE SERVICES OF THE EMPLOYEES OF THE BOARD:

3. (1) The services of such of those serving employees of the Industries Department of the Administration who may opt to serve under the Board on permanent basis, may subject to the consent of their employer, be transferred to the Board permanently and on such transfer their further employment under the Board shall be governed by the Regulation & the Rules and Bye-Laws made thereunder as may, for the time being be in force. The option once exercised by such employees shall be final and binding and in no circumstances such an option shall be allowed to be withdrawn, changed or modified.

(2) The employees so transferred shall work in the Board permanent basis and they shall be entitled to draw their pay in the same scale of pay & allowances as they were getting while serving under their previous employer. For this purpose, the last pay certificate issued by their previous employer shall be taken into account for fixation of their pay in the Board. They shall, however, not to be entitled to get special pay, which they might have been getting while serving under their previous employer on account of doing some special work carrying higher responsibility under their previous employer. However, while fixing the quantum of their consolidated pay, due regard shall be had to ensure that they do not suffer any loss in their total emoluments which they were getting immediately before the fixation of their consolidated pay.

(3) Notwithstanding anything contained in Sub-clause (1), the transferred employees referred to therein, shall be governed by these bye-laws.

(4) The Board may adopt for its employees the same pay and allowances as are prescribed / enhanced and followed by the Administration from time to time for its serving employees holding analogous posts or falling in the similar grades or categories of service under the Administration.

(5) The Board shall have mainly four classes of employees namely, group 'A', Group 'B', Group 'C' and Group 'D' and these may be further classified into grades while issuing orders specifying the scale of pay, duties and responsibilities, from time to time for each category of class or employees.

(6) Should the exigencies of works in the Board so require the Board may, from time to time employ casual and daily rated workers subject to the provision to sub-section (1) of section 11 of the Regulation :

Provided that period of continued employment of such workers shall be regulated on the basis of the instructions and orders as may be issued from time to time by the Administration with regard to the employment to such workers in the various departments of the Administration.

(7) Subject to provisions of the regulation, rules and these Bye-Laws the Board shall lay down terms and conditions of service of all its employees inter-alia these terms and conditions shall cover matters such age limits at the time of recruitment, minimum qualifications and experience require in the case of an employee or class of

employees and the like. The Board may by order in writing relax any of the these terms and conditions where-ever it thinks necessary to do so in the interest of the work of the Board.

(8) In the case of permanent servants of the Central Govt. or any State Government whose services are lent to the Board on deputation of foreign service, the terms and conditions of service (including their pay, traveling and daily allowance, leave, provident fund, leave salary and pension contribution), shall be such as may be laid down at the time of their deputation to the Board.

(9) The Board may grant study leave to its employees in order to enable them to undertake study or research work to obtain specialized knowledge in scientific, technical or economical disciplines connected with the work of the Board, subject to such terms and conditions as may be laid down in this regard by the Board.

(10) For regulating the conduct and discipline of its employees, the Board adopt mutatis mutandis the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964 and the Central Services (Classification, control and appeal) Rules, 1965 applicable to the Central Govt. employees.

(11) The employees of the Board shall be entitled to the payment of gratuity subject to the provisions of the payment of Gratuity Act, 1972 (No. 39 of 1972). For this purpose, the said Act shall be mutatis mutandis applicable to the employees of the Board.

(12) The employees of the Board shall be entitled to the payment of medical expenses subject to the provision of the Medical Attendance Rules, 1944 applicable to the Central Government employees. For this purpose the said Rule shall be applicable to the employees of the Board.

METHOD OF RECRUITMENT :

(13) Recruitment to the posts in different grades and cadres existing in the establishment of the Board, regulating the methods of recruitment, age, qualifications, experience etc. shall be such as framed and notified in the Official Gazette.

CERTIFICATES OF HEALTH :

(14) (i) Every employee of the Board shall produce a Medical Certificate of Health from the Medical Officer of the G.B. Pant Hospital, Port Blair. Such certificate shall be produced within one month from the date of appointment.

Provided that an employee transferred from the Administration for serving under the Board shall not be required to produce such certificate, if he has already produced it during the period of his service under that Administration.

(ii) The Board may for sufficient cause to be recorded in the writing extend the period beyond one month within which the medical certificate has to be produced.

(iii) An employee discharged from service due to his failure to produce necessary Medical Certificates within the specified time limit or extended time limit, if any, shall not be re-employed under the Board unless he produces such a certificate in advance. Such re-employment shall be subject to a vacancy in the concerned post being available in the Board.

(iv) A fresh certificate of health shall not be required if a discharged person is re-employed under the Board within six months of the date of the health certificates produced during the previous period of his service.

PROBATION AND TRIAL PERIOD, CONFIRMATION & SUPERANNUATION :

15. (1) All employees of the Board recruited against permanent vacancies shall be on probation for a period of 2 years. The employees recruited against temporary vacancies shall, however, be on a period of trial for three months. Such period of probation or trial may be extended by six months in individual case by the appointing authority if it considers so to do for sufficient reasons to be recorded in writing.

(2) (a) After satisfactory completion of the trial period employees will be continued in the temporary posts, otherwise they shall be discharged according to terms and conditions of their appointment.

(b) Employees recruited against permanent vacancies will be confirmed thereon after satisfactory completion of their probationary period.

(3) (a) All employees of the Board shall ordinarily retire from service on attaining the age of 60 years or on attaining of such age as may be applicable to the Government Servants serving under the Administration for the purpose of their retirement on superannuation.

(b) An employee of the Board may also retire voluntarily after completion of 20 years qualifying service as laid down under Rule 48(A) of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

(c) An employee of the Board shall be entitled of encashment of earned leave at the time of retirement on the basis of such orders/rules as are applicable in this regard to Government employees serving under the Administration.

(d) An employee of the Board due for retirement on attainment of the age of 60 years as provided for in clause (a) may, in the interests of the commission and the exigencies of services of the Board, and for reasons to be recorded in writing at any time.

(i) be granted extension of service, on a year to year basis till he attains the age of sixty-three years; or

(ii) be re-employed in service on contract basis on such terms and conditions as may be determined by the Board under a resolution passed by it in that behalf :

Provided that period of such extension of service of re-employment shall be subject to the employee being medically examined and declared fit for further employment by a duly competent / registered medical authority /practitioner.

4. NOTWITHSTANDING ANYTHING CONTAINED IN SUB-CLAUSE 3 (A) :

(i) the Board may at any time, require any employee who has attained the age of 55 years to retire from service by giving such employees 3 months advance notice in writing following due procedure.

(ii) any employee of the Board may at any time after attaining the age of 55 years voluntarily retire after giving three months advance notice in writing to the Board :

Provided that the Board may refuse to allow any such employee to retire voluntarily if disciplinary proceedings against him are contemplated or are pending.

TERMINATION OF SERVICES :

16. (1) During the period of trial, the services of a temporary employee may be terminated by the appointing authority in terms of his appointment.

(2) The services of a temporary employee may at any time be terminated by the appointing authority without assigning any reason thereof by giving him an advance notice in writing of one month or by paying him one month pay plus allowances:

Provided that his service may also be terminated forthwith and in the event of such termination, the employee concerned shall be entitled to claim one month's pay plus allowances for the period of the notice at the same rate at which he was drawing the same immediately before the termination of his services in lieu of the notice or for the period by which such notice falls short of one month.

(3) The service of an employee appointed on probation against a permanent post may be terminated by the appointing authority during the period of probation without notice and without assigning any reasons.

(4) After satisfactory completion of the period of probation the services of an employee in permanent employment may be terminated if his post is abolished :

Provided that the services of an employee in permanent service shall not be liable to termination under this sub-clause for so long as any post of the same grade or class or category and under the same appointing authority continue to be held by any person junior to him:

Provided further that such an employee may be offered an alternative appointment subject to availability of an existing vacancy in the Board in the same or a lower grade if he fulfills the requirements laid down in these bye-laws for appointment to such post, if he accepts appointment to such an alternative post, he may be retained in the Board.

(5) (a) No employee in permanent services shall quit his services under the Board without first having his resignation accepted by the competent authority.

(b) When owing to the abolition of permanent post an employee in the permanent service of the Board is discharged from the Board's service he/she shall be entitled to three calendar months notice signifying the Board's intention to terminate his/her appointment or in the lieu thereof, a some equivalent to his / her pay plus allowances for the period of the notice at the same rate at which he was drawing the same immediately before the termination of his/her service of the period by which such notice falls short of the period of three months, shall be paid to him/her in advance or he/she shall be entitled to claim the required payment subsequent to the termination of his/her services.

TRAVELLING & DAILY ALLOWANCES :

17. The employees of the Board shall be eligible for traveling and daily allowances for journey on tour or on transfer at such rates and according to such terms and conditions as may be laid down in this regard by the Board with the prior approval of the Administrator. Until such rates and terms and conditions are laid down by the Board, the employees of the Board shall draw traveling and daily allowances at the same rates and subject to the same terms and conditions as are applicable to the employees of the analogues / corresponding grades serving under the Administration.

CONTROLLING OFFICER :

18. (a) Chairman of the Board shall be the Controlling Officer in respect of his own travelling and daily allowances bills.

(b) The Chairman shall be the Controlling Officer in respect of travelling and daily allowances bills of the Member Secretary, the Executive Officer, the Financial Advisor and Chief Accounts Officer and members of the Board.

(c) The Executive Officer shall be the Controlling Officer in respect of the travelling and daily allowances bills of employees of the Board.

(d) The Board may, by order in writing, direct that the power of the Controlling Officer for the purpose of travelling and daily allowances, shall be exercised by such other officer or officers of the Board as may be authorized in writing in this behalf. Provided that an officer shall not be authorized as his own Controlling Officer.

(e) Heads of offices will be the Controlling Officers in respect of the employees of Board holding Group 'B' Non-Gazetted and Group 'C' and Group 'D' posts.

DAILY ALLOWANCES :

19. Daily allowances shall not be drawn at full rate by any of the employee of the Board for a continues period of more than 10 days at one place while on tour and such employee shall draw the same at same rates as are applicable to the employees of the corresponding grades serving in the Administration :

Provided that the Chairman may by order in writing grant general or individual exemption from operation of this clause if he thinks that prolonged held at a particular place or station is necessary in the interest of the work of the Board.

ADVANCES FOR TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCES :

20. The Controlling Officer may issue orders for grant of advances to employees and members of the Board for journeys, which are to be performed by them in connection with the official work assigned to them.

LEAVE AND LEAVE ALLOWANCES :

21. Leave and Leave Allowances of the employees of the Board, shall be regulated according to the rules and orders as are applicable to the employees of the Administration, who are in receipt of the time scale of pay in that Administration analogous to the scale of pay of the employees of the Board :

Provided that the Board may, with the prior approval of the Administrator, either frame Bye-Laws on the subject or alternatively adopt mutatis mutandis the rules and orders as may be in force from time to time, regulating the applicability of leave and traveling allowances admissible to the employees of the Administration.

REIMBURSEMENT OF TUITION FEE :

21 A. All regular employees of the Board shall be entitled to reimbursement of tuition fee on the basis of such rules/orders as are applicable in this regard to Government employees serving under the Administration.

PROMOTION AND ADVANCE INCREMENT :

22. (i) Ordinary promotion shall be made from the lower grade to the next higher grade strictly on the basis of seniority-cum-merit :

Provided that the senior most employees serving in lower grade in the feeder cadre is suitable for promotion to the next higher grade on the basis of merit. The Board may declare any post or class of posts in a particular grade as selection post or post to which this rule shall not apply. Promotion to selection post shall be made purely on the basis of merit only:

Provided that the Board may, from time to time, lay down detailed procedure regulating the criteria for promotion of the employees to selection post in the next higher grade in the different cadres of the establishment of this Board.

(ii) The Board may grant higher initial pay or salary or sanction advance increments subsequently in respect of the posts for which the Board is competent to sanction the creation of posts :

Provided that in cases where more than three advance of increment are involved, the prior approval of the Administrator shall be obtained.

DEPUTATION ABROAD IN CONNECTION WITH THE WORK OF THE BOARD:

23. The Board may, with the prior sanction of the Administrator and of Govt. of India, depute any member or officer of the Board or any of its employees to proceed outside India in connection with its work. The Board may issue orders with the prior approval of the Administrator regarding the grant of funds to the members, officers or employees of the Board deputed outside India on official duty-cum-tour :

Provided that the requirement of the Foreign Exchange (Regulation) Act, 1973 for the time being in force shall be duly compiled with by the Board, before sanctioning any deputation for travel to a foreign country.

APPOINTMENT OF COMMITTEE FOR SPECIFIC PURPOSES :

24. The Board may appoint Committee consisting of one or more of its members or any other person or persons for both, for specific purposes as may be specified by it to assist or advice the Board in the matters governed by the provisions of the Regulation.

CHAPTER – III

NOTICE OF MEETINGS AND LIST OF BUSINESS :

25 (i) The Chairman shall decide the date, time and place of convening every meeting of Board and this will be communicated by the Secretary to the concerned officers, invitees and all other members of the Board, including the Vice Chairman, Executive Officer, the Financial Advisor and Chief Accounts Officer and any other officer deputed by the Administrator to attend such meetings. The agenda of business to be transacted at such meetings will also be furnished to the members and all other persons aforesaid by the Secretary well in advance. Business other than those shown in the agenda can, however, be transacted with the permission of the Chair.

(ii) All such meetings shall be presided over by the Chairman or in his absence by the Vice Chairman and in absence of both by any member chosen by the members present among themselves.

26. (i) The presence of one third of members of the Board at a meeting shall form a quorum for holding such meetings.

(ii) If at any meeting of the Board, there is no quorum, the Chairman or any other persons presiding over such a meeting shall adjourn the meeting to another date and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such an adjourned meeting irrespective of number of members present at such an adjourned meeting:

Provided that the date for holding an adjourned meeting is fixed for a not less than the expiry of clear 7 days later from the date of the meeting adjourned and all the members and others shall be informed of the date, time and place of such adjourned meeting by the Secretary in the same manner as specified in sub-clause (1) of clause 24.

CASTING OF VOTES :

27. All votes shall be taken by voice or by show of hands unless the Chairman or person presiding over the meeting decides that votes shall be taken by ballot in a particular case.

RESOLUTION BY CIRCULATION :

28. Any resolution of an urgent and important nature which cannot wait till a regular meeting of the Board is convened, may be passed by circulation amongst the members and other persons with the approval of the Chairman.

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD :

29. (i) Proceedings of the meeting of the Board shall be recorded under the general supervision and control of the Secretary.

(ii) Minutes of the meetings of the Board shall be compiled by the Secretary and shall be placed by him before the next meeting of the Board for confirmation. The minutes of the meeting shall inter-alia, show the names of the person who attended such meetings. The Chairman of the meeting shall sign the minutes after they are confirmed.

30. (i) All such Bye-Laws, notification, orders and directions issued in the matters dealt with or governed by these Bye-Laws and as may be in force immediately before the commencement of these Bye-Laws, shall stand repealed.

(ii) Notwithstanding anything contained in sub clause (1) such repeal shall not effect –

(a) the previous operation of such bye-laws, notifications, orders or directions or anything done or suffered thereunder ; or

(b) any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred thereunder ; and

(c) any investigation, legal proceeding, or remedy in respect of such right, privilege, obligation, pending, legal proceeding or remedy may be continued or enforced as if these Bye-Laws had not been framed and issued.

Sd/-
(N.N.JHA)
LIEUTENANT GOVERNOR.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd/-
(M.N.MURALI)
EXECUTIVE OFFICER
A & N Islands Khadi & Village Industries Board,
Port Blair.

MGPPB—218/Gazette/06 — 175 Copies.(YSN)